

2777787177111

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938

No. 7071

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/ CHAITRA 1, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ. 1169(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप—धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii), तारीख 9 नवम्बर, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3025 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 36.84 हेक्टेयर (लगभग) या 91.00 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 36.84 हेक्टेयर (लगभग) या 91.00 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित की जाती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/02/2016,तारीख 8 फरवरी, 2016 का निरीक्षण उपायुक्त, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता— 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, पिपरवार क्षेत्र, जिला रांची, झारखण्ड या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सी.एम.पी.डी.आई.एल, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची (झारखण्ड) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची पिपरवार परियोजना हेतु पिपरवार रेलवे साईडिंग जिला–रांची (झारखण्ड)

(रेखांक संख्यांक आरईवी/02/2016, तारीख 8 फरवरी, 2016) सभी अधिकारः

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	हेसालोंग	बुड़मू	2	रांची	12.70	भाग
2.	महुलिया	बुड़मू	3	रांची	15.38	भाग
3.	नावाडीह	बुड़मू	4	रांची	30.18	भाग
4.	मायापुर	बुड़मू	7	रांची	28.24	भाग
5.	कोनका	बुड़मू	8	रांची	04.50	भाग

ग्राम मायापुर में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 1, 6, 7, 10, 50 और 56. ग्राम हेसालोंग में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या: 427, 550, 553, 554 और 560.

ग्राम महुलिया में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 24, 31, 32 और 55. ग्राम कोनका में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 15, 67 और 78.

ग्राम नावाडीह में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 9, 95, 116, 117, 139, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 207, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 500, 502, 530, 541, 868, 878, 879, 880, 882 और 884.

सीमा वर्णनः

क—ख—ग—घ रेखा, बिन्दु 'क' दामोंदर नदी के किनारे से, ग्राम हेसालोंग और नावाडीह के सम्मिलित सीमा रेखा से ग्राम हेसालांग प्लॉट संख्याक 483, 490, 518, 516, 522, 531, 532, 536, 550, 551, 427, 553, 561, 556, 654, 563, 1186, 556, 1188, 1193, 1197 और 1200 (नदी) एवं ग्राम हेसालोंग एवं नावाडीह के सम्मिलित सीमा रेखा से ग्राम हेसालोंग एवं महुलिया के सम्मिलित सीमा रेखा से एवं ईस्ट इंडियन रेलवे के रेलवे लाइन से गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ—ड.—च—छ रेखा, बिन्दु 'घ' ग्राम लपरा और कोनका के सिम्मिलित सीमा रेखा से (रेलवे लाइन) के साथ ग्राम कोनका के प्लॉट संख्यांक 28, 33, 15, 16, 18, 67, 70, 72, 78 और 79 और ग्राम मायापुर के प्लॉट संख्यांक 7 और 6 से गुजरती हुई बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ—ज—झ—क रेखा, बिन्दु 'छ' ग्राम नावाडीह के प्लॉट संख्यांक 876, 868, 472 और ग्राम नावाडीह और तुमांग के सम्मिलित सीमा रेखा से प्लॉट संख्याक 131, 128, 886, 878, 9 एवं दामोदर नदी के किनारे से गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर ग्राम नावाडीह पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/14/2015- पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. .गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O. 1169(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3025(E), dated the 9th November, 2015 issued under Sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th November, 2015, the Central Government gave notice of its intention to acquire the all rights in and over the said land and in the locality specified in the Schedule appended to that notification:

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that all rights in and over land measuring 36.84 hectares (approximately) or 91.00 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 36.84 hectares (approximately) or 91.00 acres (approximately) and all rights in and over the said land described in the Schedule annexed hereby acquired.

The plan bearing number REV/02/2016, dated the 8th February, 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner Ranchi, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700001 or in the Office of the of General Manager, Piparwar Area, District Ranchi, Jharkhand or General Manager (L and R), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), CMPDIL, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

SCHEDULE

Piparwar Railway Siding for Piparwar Project

District- Ranchi (Jharkhand)

(Plan bearing number REV/02/2016, dated the 8th February, 2016)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in acres	Remarks
1.	Hesalong	Burmu	2	Ranchi	12.70	Part
2.	Mahulia	Burmu	3	Ranchi	15.38	Part
3.	Nawadih	Burmu	4	Ranchi	30.18	Part
4.	Mayapur	Burmu	7	Ranchi	28.24	Part
5.	Konka	Burmu	8	Ranchi	04.50	Part

Total:91.00 acres(approximately) or 36.84 hectares(approximately)

Plot numbers acquired in village Mayapur: 1, 6, 7, 10, 50 and 56.

Plot numbers acquired in village Hesalong: 427, 550, 553, 554 and 560.

Plot numbers acquired in village Mahulia: 24, 31, 32 and 55. Plot numbers acquired in village Konka: 15, 67 and 78.

Plot numbers acquired in village Nawadih: 9, 95, 116, 117, 139, 157, 158, 159, 160, 161, 207, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 500, 502, 530, 541, 868, 878, 879, 880, 882 and 884.

Boundary Description:

- A-B-C-D Line starts from point 'A' passes through bank of Damodar river, common boundary of village Hesalong and Nawadih, plot numbers 483, 490, 518, 516, 522, 531, 532, 536, 550, 551, 427,553,561,565,564,563, 1186, 556,1188,1193,1197 and 1200 (Nadi) in village Hesalong, common boundary line of village Hesalong and Nawadih common boundary line of Hesalong and Mahuliya and passes through East India Railway line and meets at point 'D'.
- D-E-F-G Line passes through point 'D' common boundary line of village Lapra and Konka (Railway line) with plot numbers 28, 33, 15, 16, 18, 67, 70, 72, 78 and 79 in village Konka and plot numbers 7 and 6 in village Mayapur and meets at point 'G'.
- G-H-I-A Line passes through point 'G' plot numbers 876,868 and 472 in village Nawadih common boundary line of Nawadih and Tumang plot numbers 131,128,886,878 and 9 passes through Bank of Damodar river and meets at starting point 'A' in village Nawadih.

[F. No. 43015/14/2015-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.